कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सं0 **18197**/दस–लाइसेंस–367(खण्ड–2)/सुझाव आबकारी नीति/2014–15/

दिनांक :इलाहाबादः, जनवरी, **29**, 2014

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक बिक्री के निम्न अनुज्ञापन निर्गत करने की प्रक्रिया दिनांक **01–02–2014** से आरम्भ की जायेगी। इन अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	थोक अनुज्ञापन का नाम	लाइसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	प्रतिभूति धनराशि
1	बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए (देश के अन्य प्रान्तों की आसवनियों हेतु विदेशी मदिरा का बाण्ड)	पांच लाख रुपये	तीन लाख रुपये
2	बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (देश के अन्य प्रान्त की यवासवनियों हेतु बीयर का बाण्ड)	तीन लाख पचास हजार रुपये	एक लाख रुपये
3	बी0डब्लू0एफ0एल0–2सी (देश के अन्य प्रान्त की विन्टिनरी हेतु वाइन का बाण्ड)	पचास हजार रुपये	पच्चीस हजार रुपये
4	बी0डब्लू0एफ0एल0–2डी (देश के अन्य प्रान्त की आसवनी के लिये कम तीव्रता के मादक पेय हेतु बाण्ड)	पच्चीस हजार रुपये	दस हजार रुपये
5	एफ0एल0–2डी (अन्य देशों से आयातित मदिरा, वाइन, बीयर का थोक लाइसेंस)	एक लाख दस हजार रुपये	ग्यारह हजार रुपये

नोटः– 1– उपरोक्त सभी अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के बैंक ड्राफ्ट किसी शेडयूल्ड बैंक (Scheduled Bank) द्वारा निर्गत तथा पेएबुल ऐट इलाहाबाद होंगे एवं **"आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद"** के पक्ष में देय होंगे।

2– उपरोक्त अनुज्ञापन, इच्छुक पात्र व्यक्ति द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, कार्यालय आबकारी आयुक्त,उ0प्र0, आबकारी भवन, 171– पुराना ममफोर्डगंज, इलाहाबाद से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **01–02–2014** से प्राप्त किये जा सकते है।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।